

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर  
अपील/आरटीआई/19/2026

विश्वेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह निवासी ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास,  
जिला भरतपुर मो. नं. 8058752380

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 16.04.2026

अपीलार्थी विश्वेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगन सिंह निवासी ग्राम खानसूरजापुर तहसील रूपवास, जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं. 060834006588229 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास, से सूचना चाही गई थी। अपील में अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, ने सूचना देने के बजाय 25 दिन और प्रतीक्षा का गैर कानूनी जबाव दिया है जो रिकार्ड छिपाने का कृत्य है। नियमानुसार सूचना दिये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/26/178 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने/नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास ने चाही गई सूचना, निर्धारित समयावधि निकल जाने के पश्चात भी सूचना उपलब्ध कराये जाने के बजाय 25 दिन और प्रतीक्षा का गैर कानूनी जबाव दिया है जो रिकार्ड छिपाने का कृत्य है। नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

.....2


  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

अपील/आरटीआई/19/2026  
विश्वेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अ. उपखण्डाधिकारी रूपवास

उक्तानुसार प्राप्त अपील पर लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है, ना ही इस कार्यालय को अपील के सम्बन्ध में जबाब प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधानों के तहत सूचना के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही कर अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर